न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी, देसूरी, जिला– पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत(R.A.S.)

राजस्व मूल वाद संख्या– 61/2019

तारीख निर्णय– 06.04.2022

वादी :–

नेनाराम पुत्र चिमनाजी, आयु– 70 वर्ष, जाति– बावरी, निवासी– प्रतापगढ (सादडी), तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राजस्थान)

–: बनाम :–

प्रतिवादीगण–

1. अनोपा उर्फ अनोपराम पुत्र लिखमाजी, आयु–63 वर्ष, जाति–बावरी, निवासी– प्रतापगढ (सादडी), तहसील– देसूरी, जिला–पाली (राजस्थान)
2. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

–: वाद अन्तर्गत धारा–88, 89, 188, 92–ए राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 :–

उपस्थिति–

1. श्री शेषाराम कुमावत अधिवक्तावादी की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :– दिनांक– 06.04.2022

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा– 88, 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया है कि– मौजा सरहद ग्राम– सादडी–2, पटवार हल्का– सादडी चक–2, तहसील– देसूरी मे स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर– 3011 रकबा– 0.9800 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल, लगान रूपयां– 16.66 वादी की बजरिये विकय विलेख खरीद सुदा खातेदारी आधिपत्य की विद्यमान है, जिसके पुराने खसरा नम्बर– 911 रकबा– 6 बीघा 3 विस्वा किस्म नहरी थे, जो पूर्व मे प्रतिवादी सं0–1 अनोपा वल्द लिखमाजी की खातेदारी आधिपत्य की थी, जो उक्त वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर– 911 रकबा– 6 बीघा 3 विस्वा प्रतिवादी सं0–1 ने वादी से प्रतिफल की राशि रूपये– 30,000/– प्राप्त कर बजरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख (विधिक अन्तरण विलेख) दिनांक– 07/01/1988 (उप–पंजीयन अधिकारी, देसूरी के कार्यालय मे दिनांक– 13/01/1988 को पुस्तक संख्या–1 जिल्द संख्या–1 मे पृष्ठ संख्या– 39–40 कम संख्या– 20/88 पर रजिस्टर्ड [illegible] विधिवत् विकय हस्तांतरण कर इसका कब्जा मौके पर वादी को सुपुर्द कर दिया, [illegible] सुदा वादग्रस्त आराजी के विकेता प्रतिवादी सं0–1 अनोपा के तमाम [illegible] कानूनन उक्त रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:18:43 IST
Reason: SelfAttested

पेज [illegible]ार 2 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

विक्रय विलेख (विधिक अन्तरण) के जरिये केता वादी को अन्तरण होकर वादी मे निहित हो गये एव कानूनन इसका खातेदार टिनेन्ट केता वादी हो गया, तब से वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत केता खातेदार टिनेन्ट के वादी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं वादी इसका कानूनन खातेदार टिनेन्ट हैएवं विक्रय हस्तांतरण के बाद वादग्रस्त आराजीपर प्रतिवादी सं0–1 विक्रेता का कोई हक अधिकार आधिपत्य नही रहा है।

वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी खरीदने के पश्चात् इसके उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को लेकर तत्कालिन पटवारी हल्का के पास गया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा असल का निरीक्षण कर उसकी प्रति उनके पास रखी एवं वादी को कहा कि तुम्हारे नाम से रिकार्ड मे म्युटेशन हो जावेगा एव वादी इसी मुगालते मे रहा कि पटवारी द्वारा उसकी उक्त खरीद सुदा कृषि भूमि का रिकार्ड मे म्युटेशन दर्ज कर दिया है किन्तु वास्तविक रूप से पटवारी द्वारा म्युटेशन दर्ज नही किया गया, जिससे वादग्रस्त आराजी रिकार्ड मे विक्रेता प्रतिवादी सं0–1 के ही नाम दर्ज चली आयी है, जिसकी जानकारी वादी को दो माह पहले होने पर वादी हल्का पटवारी से मिला एवं उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख उन्हे बताया व वादी के नाम म्युटेशन दर्ज करने हेतू कहा तो उनके द्वारा तहसीलदारजी देसूरी को प्रार्थना–पत्र पेश करने हेतू कहा, जिस पर वादी द्वारा तहसीलदारजी, देसूरी को उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये खरीद सुदा वादग्रस्त आराजी का वादी के नाम नामान्तरकरण दर्ज कराने हेतू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जो पटवारी हल्का के पास वास्ते रिकार्ड एवं मौका की जांच हेतू भेजा गया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक– 25/10/2019 को मौका निरीक्षण मौतबिरान के समक्ष किया गया एवं मौका फर्द बनाई गई एव पटवारी हल्का द्वारा जाचं रिर्पोट तहसीलदारजी, को प्रेषित की गई, जिस जांच रिर्पोट एवं मौका फर्द मे भी वादग्रस्त आराजी वादी नेनाराम की प्रतिवादी सं. 1 अनोपराम से जरिये उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के खरीद सुदा कब्जा काश्त सुदा होना एवं वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादी नेनाराम का का होना पाया गया है एवं वादी नेनाराम की ओर से वादग्रस्त आराजी पर काश्त पिछले 23 वर्षो से सुखराज पुत्र हंसाजी द्वारा भोग बटाई पर काश्त करना पाया गया है एवं चूंकि भूमि का बेचाननामा वक्त सेटलमेंट वर्ष 1988 मे पंजीबद्ध हो रखा है जिससे प्रार्थी को सक्षम न्यायालय मे दावा कर ना.करण की कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये एवं प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी बएवज प्रतिफल बजरिये उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख (विधिक अन्तरण विलेख) के जरिये विधिक रूप से वादी नेनाराम को विक्रय अन्तरण कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के पश्चात् कानूनन प्रतिवादी संख्या–1 का वादग्रस्त आराजी पर कोई खातेदारी हक अधिकार आधिपत्य नही रहा है, जिससे उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के के जरिये प्रतिवादी द्वारा विक्रय हस्तांतरण कर कब्जा का हस्तांतरण कर देने के पश्चात् मात्र प्रतिवादी सं0–1 विक्रेता के स्थान पर वादी केता के नाम [illegible] से राजस्व अभिलेख मे विक्रेता प्रतिवादी सं0–1 का नाम ही दर्ज रह जाने मात्र [illegible] आराजी किसी प्रकार से कानूनन विक्रेता प्रतिवादी सं0–1 के हक [illegible] न रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:18:43 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पर कानूनन प्रतिवादी सं0–1 के कोई हक अधिकार आधिपत्य नही है। प्रतिवादी संख्या–1 के स्थान पर वादी को खातेदार दर्ज करवाने का वादी को कानूनन अधिकार प्राप्त है।

पटवारी हल्का द्वारा मौका निरीक्षण करने की जानकारी प्रतिवादी संख्या–1 को होने पर एवं प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा वादी को विकय की गई वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण वादी के नाम दर्ज नही होने एवं मात्र रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज रहने की जानकारी होने पर प्रतिवादी संख्या–1 वादी को वादग्रस्त आराजी से जोर जबरदस्ती बेदखल करने पर आमादा हुआ एवं एलानियिां धमकिया देने लगा कि रिकार्ड मे वादग्रस्त आराजी उसके नाम से है, जिससे वादी इसका कब्जा प्रतिवादी को सुपुर्द कर देवे अन्यथा जोर जबरदस्ती वादी को बेदखल कर कब्जा कर लेगा एवं नाजायज दखलन्दाजी पर आमादा होने एवं दखलन्दाजी की धमकिया देने लगा। किन्तु मौके पर प्रतिवादी संख्या–1 वादग्रस्त भूमि से वादी को जोर जबरदस्ती बेदखल करने मे असफल रहने पर प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा बदनियत से वादी को विकय की गई वादी की खरीद सुदा खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा वादग्रस्त भूमि को नाजायज रूप से हथियाने की बदनियत एवं कुचेष्टा मात्र से वादी के विरूद्ध एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का कत्तई गलत रूपेण श्रीमान् न्यायालय मे प्रस्तुत किया था, जो खारिज हो चुका है। जबकि वादी पंजीकृत विकय–पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक हो चुका है एवं वादी अपने विधिक हक अधिकारो के तहत विवादग्रस्त आराजी पर काबिज है एवं प्रतिवादी सं0–1 स्वयं के द्वारा बएवज प्रतिफल राशि के वादग्रस्त आराजी वादी को बजरिये उक्त रजिस्टर्ड विकय विलेख के जरिये विकय हस्तान्तरण कर कब्जा सुपुर्द किया गया, जो उक्त रजिस्टर्ड विकय विलेख से स्पष्ट है एवं उक्त रजिस्टर्ड विकय विलेख (विधिक अन्तरण विलेख) विधिपूर्ण एवं वैद्य है एवं स्टेण्ड है, जो किसी प्रकार से अवैध, फर्जी, कुटरचित या शून्य नही है एवं न ही उक्त रजिस्टर्ड विकय विलेख को प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा सक्षम न्यायालय से फर्जी/कुटरचित, शून्य या निरस्त ही कराया है। इस प्रकार वादी विधिक रूप से जरिये उक्त रजिस्टर्ड विकय विलेख के अपने विधिक हक अधिकारो के तहत वादग्रस्त भूमि पर काबिज है, जिस पर काबिज रहने एवं इस काश्त करने एवं उपयोग उपभोग करने का कानूनन अधिकारी है एवं विकय हस्तांतरण के बाद कानूनन प्रतिवादी सं0–1 का वादग्रस्त आराजी पर कोई हक अधिकार आधिपत्य नही रहा है एवं जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं कर दिया जाता है, तब तक पंजीकृत विकय पत्र मे अंकित इस तथ्य को सही माना जावेगा कि कब्जा केता का है एवं वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी की घोषित कराने एवं राजस्व अभिलेख जमाबंदी मे दर्ज प्रतिवादी संख्या–1 अनोपराम का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर वादी का नाम दर्ज कराने एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतू यह वाद वाद–पत्र प्रस्तुत कर वाद–पत्र मे चाहे अनुसार डिकी किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:18:43 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर्ड होकर प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा वकील श्री हुकमसिंह सोलंकी को नियुक्त किया गया, जिन्होने वकालतनामा पेश कर जबाबदावा हेतू कई मौके लिए गये एवं न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 को कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत नही किया गया एवं प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा अपने वकील श्री हुकमसिंहजी से नो–ऑब्जक्शन प्राप्त कर नया वकील नियुक्त किया एवं नये वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से वकालत नामा प्रस्तुत कर जबाबदावा हेतू अवसर चाहा गया, जो न्यायालय द्वारा दिया गया एवं न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 को जबाबदावा प्रस्तुत करने हेतू प्रर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत नही किया एवं जबाबदावा पेश नही किया एवं प्रतिवादी संख्या–1 के वकील द्वारा नो–इन्स्ट्रकशन प्लीड किये गये, जिस पर न्यायालय द्वारा इस संबंध मे नोटिस प्रतिवादी संख्या–1 के नाम प्रेषित किया गया, जो तामिल नही होने पर न्यायालय द्वारा जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस प्रतिवादी संख्या–1 को भेजा गया, जो लेने से इन्कार होकर वापिस लौटा, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी पर नोटिस की तामिल मानी जाकर प्रतिवादी संख्या–1 को नियत पेशी पर बार बार आवाजे दिलाने पर भी प्रतिवादी न तो स्वयं न्यायालय मे उपस्थित हुआ एवं न ही उसकी तरफ से कोई वकील ही उपस्थित हुआ, जिससे न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया एवं चूँकि प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से वादी के वाद–पत्र का जबाबदावा प्रस्तुत नही किया जाने एवं एक पक्षीय कार्यवाही होने से कानूनन प्रकरण मे तनकीयात विरचित करने की आवश्यकता नही होने से प्रकरण वादी की एक तरफा शहादत साक्ष्य मे रखा गया।

प्रकरण मे वादी द्वारा अपनी ओर से अभिलेखीय–दस्तावेजी साक्ष्य मे अभिलेखिय साक्ष्य प्रदर्श–1 से लगाय– 23 तक प्रस्तुत कर न्यायालय मे प्रदर्शित कराये एवं मौखिक साक्ष्य पीडब्लू–1 वादी नेनाराम, पीडब्लू– 2 सुखराज वादी का काश्तकार, पीडब्लू–3 धनाराम रजि0विक्रय विलेख का गवाह एवं पीडब्लू–3 मांगीलाल पडौसी के न्यायालय मे साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत कर परिक्षित कराये जाकर वकील वादी द्वारा और साक्ष्य नही करवाने का निवेदन किया, जिस पर न्यायालय द्वारा वादी की शहादत बंद की एवं प्रकरण वादी की एक पक्षीय बहस अंतिम हेतू नियत हुआ।

वकील वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली की गई एवं वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि चूँकि प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा वादी के वाद–पत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नही किया है, जिससे कानूनन वादी के वाद–पत्र को साबित माना जायेगा एवं प्रतिवादी संख्या– 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कार्यवाही हुई है एवं प्रतिवादी संख्या–2 तहसीलदार, देसूरी भूमिधारी घोष[illegible] होने से औपचारिक पक्षकार है, जिनके हित के विरूद्ध वादी द्वारा इस वाद मे [illegible] नही चाहा गया है अतः वाद डिकी फरमाया जावे एवं वकील वादी [illegible] दृष्टान्त प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:18:43 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

किये गये–(1)– 2019(2)आरआरटी–1550, (2)– 2009(2) आरआरटी– 873– (उच्च न्यायालय), (3)– 2014(1) आरआरटी पेज 97, (4)– 2007(2) आरआरटी पेज–1449, (5)– 2020(2) आरआरटी– 1118, (6)– 2020 डीएनजे (रेवेन्यु)–549, (7)– 2021(2) आरआरटी– 1128, (8)– 2019(2) आरआरटी– 1426.

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस अध्ययन किया गया एवं उसके साथ वकील वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन किया जाकर मार्गदर्शत प्राप्त किया गयाएवं पत्रावली का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

न्यायालय को इस प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतू यह देखना है कि–क्या प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा बहैसियत खातेदार टिनेन्ट के वादग्रस्त आराजी वादी को प्रतिफल प्राप्त कर बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख (विधिक अन्तरण विलेख) के विक्रय हस्तांतरण कर कब्जा का हस्तांतरण कर कब्जा क्रेता वादी को सुपुर्द किया है एवं वादी वादग्रस्त आराजी का विधिक क्रेता है एवं वादी वादग्रस्त आराजी पर वक्त खरीद से काबिज चला आ रहा है एवं विधिक विक्रय हस्तांतरण के बाद रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा वादी को विक्रय हस्तांतरण के बाद कानूनन प्रतिवादी संख्या–1 विक्रेता के वादग्रस्त आराजी के तमाम खातेदारी हक अधिकार समाप्त होकर वादग्रस्त आराजी के तमाम खातेदारी हक अधिकार आधिपत्य विधितः क्रेता वादी मे निहित होकर वादी वादग्रस्त आराजी हस्ब धारा– 88, 89, 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अपनी खातेदारी की घोषित कराने एवं राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी मे विक्रय के बाद चल रहे प्रतिवादी संख्या–1 के नाम के स्थान पर अपना नाम दर्ज कराने एवं प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं उसके साथ वकील वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांतो एवं पत्रावली एवं पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन करने पर पाया जाता है कि– राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय, 1955 की धारा–41 के अनुसार खातेदारी के हित अन्तरणीय है एवं खातेदार टिनेन्ट भूमि हस्तान्तरण करने का अधिकारी है (जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त 2009(2)आरआरटी–873 मे प्रतिपादित किया गया है) वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर– 911 रकबा– 6 बीघा 3 विस्वा किस्म नहरी, जिसके गत् सेटलमेंट के दौरान नये वर्तमान खसरा नम्बर– 3011 रकबा– 0.9800 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल, लगान रूपयां– 16.66 बने है, जो पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व अभिलेख मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श... से एवं पटवारी हल्का की जांच रिर्पोट प्रदर्श– 3 से प्रमाणित होता है एवं वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा न... रकबा– 6 बीघा 3 विस्वा, जिसके नये खसरा नम्बर– 3011 रकबा– 0.9800 हैक्टर... संख्या–1 अनोपा वल्द लिखमा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajlaxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:18:43 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 06 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

खातेदार जुगलकिशोर वल्द देवीचंदजी, कौम– नन्दवाणा से जरिये बेचान खरीद सुदा होकर जरिये ना.मा. संख्या– 1271 के प्रतिवादी संख्या–1 अनोपा के नाम दर्ज सुदा होकर प्रतिवादी संख्या–1 अनोपा की खातेदारी आधिपत्य की होना पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखिय साक्ष्य प्रदर्श– 21 एवं प्रदर्श– 22 एवं प्रदर्श–23 से एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख प्रदर्श–1 व प्रदर्श–1–ए से प्रमाणित है एवं वादग्रस्त आराजी बहैसियत खातेदार के प्रतिवादी संख्या–1 अनोपा ने वादी से प्रतिफल की राशि रूपये– 30,000/– प्राप्त कर बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख (विधिक अन्तरण विलेख) दिनांक– 07/01/1988 (उप–पंजीयन अधिकारी, देसूरी के कार्यालय मे दिनांक– 13/01/1988 को पुस्तक संख्या–1 जिल्द संख्या–1 मे पृष्ठ संख्या– 39–40 क्रम संख्या– 20/88 पर रजिस्टर्ड सुदा) के वादी नेनाराम को विधिवत् विक्रय हस्तांतरण कर इसका कब्जा मौके पर वादी को सुपुर्द किया जाना एवं तब से विक्रय सुदा वादग्रस्त आराजी के विक्रेता प्रतिवादी सं0–1 अनोपा के तमाम खातेदारी हकअधिकार आधिपत्य कानूनन उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख (विधिक अन्तरण) अभिलेखिय साक्ष्य प्रदर्श–1 व प्रदर्श–1–ए के जरिये क्रेता वादी को अन्तरण होकर वादी मे निहित हो होना पाया जाता है एवं कानूनन वादग्रस्त आराजी का खातेदार टिनेन्ट क्रेता वादी होना पाया जाता है एवं बाद विक्रय विक्रय सुदा वादग्रस्त आराजी पर विक्रेता प्रतिवादी संख्या–1 का कानूनन किसी प्रकार से कोई हक अधिकार आधिपत्य नही रहना पाया जाता है, जो तथ्य प्रतिवादी संख्या–1 स्वयं के द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख मे स्पष्ट रूप से अंकित कर स्वीकार किये गये है, जो प्रतिवादी संख्या–1 के स्वीकृत तथ्य है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये प्रदत्त किया गया कब्जा क्रेता वादी का ही होने की कानूनन उपधारणा की जाती है (जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त 2014(1) आरआरटी पेज 97 मे प्रतिपादित किया गया है) एवं प्रतिवादी सं0–1 विक्रेता द्वारा वादग्रस्त आराजी का उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादित करने एवं उसे विधितः पंजीयन कराने के बाद आज दिन तक कभी कोई चुनौती नही दी जाना प्रतीत होता है एवं न ही इसे प्रतिवादी सं0–1 द्वारा किसी सक्षम न्यायालय से फर्जी/कुटरचित, शून्य या निरस्त ही कराया है, जिससे इसे किसी प्रकार से अवैध या विधि विरूद्ध नही कहा जा सकता है एवं उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख आज भी विधिपूर्ण वैद्य एवं अस्तित्व मे है एवं स्टेण्ड है एवं जब तक उक्त पंजीकरण को सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करा लिया जाता है तब तक यही माना जावेगा कि विक्रेता प्रतिवादी सं0–1 अनोपा द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये वादग्रस्त भूमि का विक्रय क्रेता वादी को किया गया है एवं विधिक रूप से वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा वादी को विक्रय हस्तान्तरण कर पंजीकृत विक्रय के जरिये कब्जा क्रेता वादी को सुपुर्द कर दिये जाने के पश्चात् विक्रेता प्रतिवादी संख्या–1 का उसके द्वारा विक्रय सुदा वादग्रस्त आराजी मे कानूनन कोई स्वत्व व अधिकार आधिपत्य नही रह जाता है (जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त 2021(2)–1128 व 2020(2) आरआरटी–1118 मे प्रतिपादित किया गया है), जिससे उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के मात्र क्रेता वादी के नाम रिकार्ड मे नामान्तरकरण दर्ज नही होकर विक्रेता प्रतिवादी सं0–1 ही नाम नाम का इन्द्राज रहने मात्र से

पेज लगातार 07 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:18:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

विकेता प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा वादी को विकय सुदा वादग्रस्त आराजी मे विकेता प्रतिवादी सं0–1 के किसी प्रकार से कानूनन कोई हक अधिकार आधिपत्य निहित नही रहे है। पंजीकृत विकय पूर्ण होते ही विकय सुदा सम्पति के तमाम हक अधिकार आधिपत्य कानूनन केता मे निहित हो जाते है एवं विकेता का विकय सुदा सम्पति मे कोई हक अधिकार शेष नही रहते है, जो कि विधि का सुस्थापित एवं सर्वमान्य सिद्धान्त है। चूँकि नामान्तरकरण एक फिस्कल कार्यवाही है एवं मात्र नामान्तरकरण से हक अधिकार तय नही होते है, जिससे उक्त रजिस्टर्ड विकय विलेख के जरिये वादी केता के नाम नामान्तरकरण दर्ज नही होने मात्र से राजस्व अभिलेख मे विकेता प्रतिवादी सं0–1 का पूर्ववत नाम का इन्द्राज मात्र दर्ज रहने से कानूनन प्रतिवादी सं0–1 का उसके द्वारा पंजीकृत विकय विलेख के जरिये वादी को विकय की गई वादी की खरीद सुदा कब्जा सुदा वादग्रस्त आराजी मे विकेता प्रतिवादी सं0–1 अनोपा उर्फ अनोपराम के कानूनन कोई हक अधिकार आधिपत्य निहित नही रहे है एवं पंजीकृत विकय पूर्ण होते ही वादग्रस्त आराजी के तमाम हक अधिकार कानूनन केता वादी मे निहित हो चुके है एवं जब तक अन्यथा सिद्ध नही कर दिया जाता है तब तक पंजीकृत विकय पत्र मे अंकित इस तथ्य को सही मानाजावेगा कि विकय सुदा वादग्रस्त आराजी का कब्जा केता को सुपुर्द किया गया हैएवं कब्जा केता वादी का है एवं कानूनन रजिस्टर्ड विकय विलेख के जरिये कब्जा सुपुर्द किये गये केता वादी का ही विकय सुदा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने की उपधारण की जाती है एवं माना जाता है एवं विकय के निष्पादन की दिनांक से अन्तरिति के पक्ष मे सभी अधिकार अन्तरित हो जाते है– राजस्व प्रविष्टियां किसी अधिकार का, स्वत्व या हित का समाप्ति नही कर सकती। (जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त 2007(2) आरआरटी पेज–1449 मे प्रतिपादित किया गया) एवं उक्त पंजीकृत विकय विलेख विधिक अन्तरण होकरविधिपूर्ण एवं वैद्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय की राय मे वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा विधिक रूप से वादी से प्रतिफल राशि रूपये–30,000/– प्राप्त कर बजरिये उक्त रजिस्टर्ड विकय विलेख (विधिक अन्तरण) के वादी को विकय हस्तांतरण कर कब्जा का हस्तांतरण कर कब्जा केता वादी को सुपुर्द करना एवं वादग्रस्त आराजी पर वक्त खरीद से कब्जा काश्त बहैसियत केता के अपने विधिक हक अधिकारो के तहत वादी का होना एवं रजिस्टर्ड विकय विलेख के जरिये वादग्रस्त आराजी के तमाम खातेदारी हक अधिकार आधिपत्य विकेता प्रतिवादी सं0–1 के समाप्त होकर विधिक रूप से केता वादी मे निहित होना एवं वादग्रस्त आराजी वादी की जरिये पंजीकृत विकय विलेख के खरीद सुदा खातेदारी आधिपत्य की होकर इसके तमाम खातेदारी हक अधिकार वादी मे निहित होना पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1, प्रदर्श–1–ए (रजिस्टर्ड विकय विलेख), प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–3 व 4 पटवारी जांच रिर्पोट एवं मौका फर्द के एवं मौखिक साक्ष्य पीडब्लू–1 वादी नेनाराम, पीडब्लू–2 सुखराज वादी के काश्तकार, पीडब्लू–3 धनाराम रजिस्टर्ड विकय विलेख का गवाह, पीडब्लू– 4 पडौसी मांगीलाल के साक्ष्य शपथ–पत्र एवं ... से स्पष्टतया साबित एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:18:43 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 08 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रमाणित होता है एवं वादी द्वारा अपने वाद–पत्र को अभिलेखिय साक्ष्य से बखुबी साबित कराया है एवं उक्त विवेचन एवं निष्कर्ष मे न्यायालय की राय मे कानूनन वादी वादग्रस्त आराजी अपनी खातेदारी की घोषित कराने एवं राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी मे दर्ज विक्रेता प्रतिवादी संख्या–1 अनोपराम का नाम विलोपित करवा कर उसके स्थान पर बहैसियत खातेदार वादी अपना नाम दर्ज कराने का एवं वादग्रस्त आराजी के बहैसियत खातेदार टिनेन्ट के वादी के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग मे प्रतिवादी संख्या–1 किसी प्रकार से कोई रोक–टोक अवरोध, बाधा नही करे न किसी अन्य से करावे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1 प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है एवं वादी का वाद वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री योग्य मानता हूँ। अतएवं

–: आदेश :–

परिणमस्वरूप वादी का वाद बहक वादी, विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा– 88, 89, 199, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री बहक वादी, विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर की जाती है कि– मौजा सरहद ग्राम– सादडी–2, पटवार हल्का– सादडी चक–2, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राजस्थान) मे स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर– 3011 रकबा– 0.9800 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल, लगान रूपयां– 16.66 (जिसके पुराने खसरा नम्बर– नम्बर– 911 रकबा– 6 बीघा 3 विस्वा थे) वादी की खातेदारी की घोषित की जाती हैएवं उक्त आराजी कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबंदी मे दर्ज प्रतिवादी सं0–1 अनोपराम पुत्र लिखमाराम का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादी नेनाराम पुत्र चिमनाजी, जाति– बावरी साकिन प्रतापगढ (सादडी)का नाम बहैसियत खातेदार टिनेन्ट के दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार, देसूरी को प्रदत्त किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है कि वादी की उक्त वादग्रस्त आराजी केबहैसियत खातेदार टिनेन्ट के वादी के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग मे प्रतिवादी संख्या–1 किसी प्रकार से कोई रोक–टोक, बाधा, अवरोध, दखलन्दाजी नही करे न ही अपने परिवारजन, मजदूर, एजेन्टो आदि किसी अन्य से ही करावे एवं वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से डेमेज नही करे न किसी अन्य से करावे। तदनुरूप डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना–अपना वहन करेगे। तदनुरूप पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(लक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 6/4/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:18:43 IST
Reason: SelfAttested

—: डिगरी बमुकदेमें इब्तदाई :—

(औ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय— सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला— पाली

पीठासीन अधिकारी— श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्या— 61/2019
तारीख डिक्री— 06.04.2022

वादी :—

नेनाराम पुत्र चिमनाजी, आयु— 70 वर्ष, जाति— बावरी, निवासी— प्रतापगढ (सादडी), तहसील— देसूरी, जिला— पाली (राजस्थान)

—: बनाम :—

प्रतिवादीगण—

1. अनोपा उर्फ अनोपराम पुत्र लिखमाजी, आयु—63 वर्ष, जाति— बावरी, निवासी— प्रतापगढ (सादडी), तहसील— देसूरी, जिला— पाली (राजस्थान)
2. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

—: वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92—ए राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 :—

मुकदमा नम्बर— राजस्व मूल वाद संख्या—61/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल कत्तई रूबरू हमारे वकील श्री शेषाराम कुमावत मिनजानिब मुद्दई व ...... मिनजानिब मुद्धायलाहीम पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि— अतः वादी का वाद बहक वादी, विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा— 88, 89, 199, 92—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री बहक वादी, विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर की जाती है कि— मौजा सरहद ग्राम— सादडी—2, पटवार हल्का— सादडी चक—2, तहसील— देसूरी, जिला— पाली (राजस्थान) मे स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर— 3011 रकबा—0.9800 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल, लगान रूपयां— 16.66 (जिसके पुराने खसरा नम्बर— नम्बर— 911 रकबा— 6 बीघा 3 विस्वा थे) वादी की [illegible] है एवं उक्त आराजी कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबंदी मे दर्ज प्रति[illegible] अनोपराम पुत्र लिखमाराम का नाम विलोपित किया जाकर उसके [illegible]जी, जाति— बावरी साकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:18:43 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रतापगढ (सादडी) का नाम बहैसियत खातेदार टिनेन्ट के दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार, देसूरी को प्रदत्त किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी की जाती है कि वादी की उक्त वादग्रस्त आराजी के बहैसियत खातेदार टिनेन्ट के वादी के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग मे प्रतिवादी संख्या–1 किसी प्रकार से कोई रोक–टोक, बाधा, अवरोध, दखलन्दाजी नही करे न ही अपने परिवारजन, मजदूर, एजेन्टो आदि किसी अन्य से ही करावे एवंवादग्रस्तआराजी को किसी प्रकार से डेमेज नही करे न किसी अन्य से करावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना–अपना वहन करेगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.04.2022 को जारी किया गया।

मोहर

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

मुद्धई	रूपयां पैसा	मुद्धायलाह	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजान		मिजान	

नोट– इस खर्चे के फाम पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:18:43 IST
Reason: SelfAttested